1000 करोड़ रुपये का निवेश हिमाचल प्रदेश में तीन कंपनियां करेंगी। इस संबंध में नई दिल्ली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। प्रदेश में पर्यटन स्थल चांशल, कुल्लू, मनाली और लाहुल स्पीति में पर्यटकों के लिए स्की रिजॉर्ट का निर्माण भी होगा।

प्रयागराज के खनन दफ्तर पर भी छापा

सीबीआइ की कार्रवाई ▸ अधिकारियों ने तलब की फाइलें, दूसरे दिन भी छापेमारी से मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

उप्र में सीबीआइ टीम ने दूसरे दिन गुरुवार को भी खनन मामले में छापेमारी की। टीम सुबह साढ़े सात बजे प्रयागराज स्थित मेजा के भटौती पहुंच गई। वहां दो क्रशर प्लांटों में छानबीन की। क्रशर पर कोई अधिकारी नहीं मिलने पर टीम ने मौके पर मशीन आदि की वीडियोग्राफी कराई। सीबीआइ टीम क्रशर प्लांटों की जांच के बाद सीधे लगभग साढ़े नौ बजे खनन कार्यालय पहुंची तो कार्यालय बंद मिला। कैंपस में सफाई हो रही थी। कुछ देर सीबीआइ टीम वहां रही, फिर लौट गई।

इस बीच टीम के सदस्यों ने मोबाइल पर कुछ लोगों से बात की। पता चला है कि खनन अफसरों से गंगा व यमुना में बालू खनन तथा गिट्टी खनन के पट्टों की फाइलें लखनऊ तलब की हैं। दरअसल, खनन दफ्तर सुबह 10 बजे खुलता है। वैसे भी खनन विभाग के अधिकारियों की बैठक गुरुवार को लखनऊ में थी। इसकी जानकारी सीबीआइ टीम को हुई तो वे मोबाइल से अफसरों से वार्ता कर लौट गए। दोपहर बाद टीम लखनऊ चली गई। खनन दफ्तर में सुबह दस बजे के बाद जब कर्मचारी पहुंचे तो सीबीआइ के पहुंचने की सूचना पर उनमें खलबली मच गई। सीबीआइ टीम ने बुधवार को जार्जटाउन के दरभंगा कॉलोनी स्थित आजमगढ़ के सीडीओ डीएस उपाध्याय के घर पर छापेमारी की थी। इसके अलावा नैनी में दो पट्टाधारकों, गोविंदपुर के अपट्रान चौराहे के पास, धूमनगंज और सिविल लाइंस में भी छापेमारी की थी।

एक बार ऑफिस बंद होने पर लौट गई थी टीम। फाइल

मेजा पहाड़ पर नियम दरकिनार कर दिए गए 34 पट्टे : मेजा में गिट्टी खनन के लिए पहाड़ों के खदान के लगभग 34 पट्टे दिए गए थे। शिकायत हुई है कि इनमें 80 फीसद पट्टे नियमों के विपरीत दिए गए थे, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। इसी पर सीबीआइ की नजर है। पूरे इलाके के पहाड़ पर सौ से ज्यादा क्रशर प्लांट लगा दिए गए हैं, जिससे पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ रहा है। जंगल काट दिए गए, पेड़ भी नहीं बचे। यही नहीं, प्लांटों के धूल और धुएं से मानव स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। खेती भी नहीं हो पा रही है। खासतौर पर धान, गेहूं, तिलहनी और दलहनी फसलों का उत्पादन प्रभावित हो गया है। इसके अलावा प्लांटों से निकलने वाले ओवरलोड बड़े ट्रकों से इलाके की सड़कें बनने के कुछ ही दिन में क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।

महत्वपूर्ण पदों पर तैनात दागियों को हटाएगी योगी सरकार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- अपनी छवि के लिए सजग राज्य सरकार अब ऐसे अफसरों की कुंडली खंगाल रही
- इन दागियों को हटाकर साफ-सुथरी छवि के अफसरों को कमान सौंपी जाएगी
- कार्रवाई से नौकरशाहों की किरकिरी के साथ व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं

उत्तर प्रदेश के खनन घोटाले में फंसे आइएएस अधिकारियों के यहां सीबीआइ छापे से न केवल नौकरशाहों की किरकिरी हुई बल्कि व्यवस्था पर भी सवाल उठे कि ऐसे दागी छवि के लोगों को जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और कौशल विकास मिशन निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती कैसे मिली?

अपनी छवि के लिए सजग राज्य सरकार अब ऐसे अफसरों की कुंडली खंगाल रही है जो जांच के शिकंजे में फंसे होने के बावजूद महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हैं। इन दागियों को हटाकर साफ-सुथरी छवि के अफसरों को कमान सौंपी जाएगी।

प्रदेशभर में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात कुछ आइएएस और आइपीएस अफसरों के पिछले रिकार्ड ठीक नहीं रहे हैं। गुजरे बीस साल में भ्रष्टाचार के बहुत से मामले उजागर हुए। जांच का सिलसिला चल पड़ा। एनआरएचएम घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, बीज घोटाला, मृदा परीक्षण घोटाला, स्मारक घोटाला, चीनी मिल बिक्री घोटाला, भर्ती परीक्षा घोटाला, रिवर फ्रंट घोटाला, सहकारी बैंकों में भर्ती घोटाला, यमुना एक्सप्रेस-वे हाइवे घोटाला, पिकप घोटाला, जल निगम भर्ती घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला जैसे अनेक मामले हैं जिनमें अफसरों की संदिग्ध भूमिका उजागर हुई।

कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुई लेकिन, बाद में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर मनचाहे पदों पर तैनाती पा ली। कई मंत्री और विधायकों ने भी संपर्क कर अपने मनचाहे अफसरों की तैनाती कराई। सरकार मिशन 2022 को देखते हुए ऐसे सिफारिशी और दागी लोगों को किनारे कर अच्छे अफसरों को मौका देने का मन बना चुकी है। खासकर जिलों में ड्राइविंग सीट पर बैठने वाले अफसरों की सार्वजनिक छवि के साथ ही उनकी कार्यशैली का भी आकलन हो रहा है। बहुत जल्द इसका प्रभाव देखने को मिलेगा।

मुंबई में नाले में गिरे बच्चे की तलाश में जुटी एनडीआरएफ

रंजीत जाधव (मिड डे), मुंबई : गोरेगांव के अंबेडकर नगर इलाके में नाले में गिरे डेढ़ साल के बच्चे की तलाश में नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स (एनडीआरएफ) को भी लगा दिया गया है।

यह घटना बुधवार रात दस बजे की है। बच्चे की पहचान दिव्यांश सिंह के रूप में हुई है। वह अपने घर के पास टहल रहा था, उसी दौरान वह उफनते खुले नाले में गिर गया। देर तक जब उसका कुछ पता नहीं चला तो घरवालों ने उसकी तलाश की। इस दौरान उन्होंने जब घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले तो बच्चा नाले में गिरते हुए देखा गया। घटना की जानकारी मिलते ही शहर के मेयर विश्वनाथ महादेश्वर भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराकर इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राकांपा और कांग्रेस ने बृहनमुंबई नगर निगम (बीएमसी) की आलोचना की है। दोनों दलों ने इसके लिए जिम्मेदार नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। बीएमसी में शिवसेना सत्ता में है।

घटना के विरोध में बच्चे के परिजनों और आस-पास के लोगों ने गुरुवार को सड़क जाम करने की भी कोशिश की। लोगों ने इसके लिए बीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है और कार्रवाई की मांग की है। तलाशी अभियान में लगे अधिकारियों का कहना है कि नाले में तेज बहाव है। इससे आशंका है कि बच्चा कहीं दूर बह गया होगा। 10 किलोमीटर के इलाके में बच्चे की तलाश की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के चीनी मिल घोटाले में ईडी ने भी दर्ज किया केस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- मनी लांड्रिंग के केस में अब कई बड़ों पर कसेगा शिकंजा
- सीबीआइ की एफआइआर को बनाया आधार

उप्र में करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामलों में सीबीआइ के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। मायावती सरकार में हुए 1100 करोड़ के चीनी मिल घोटाले में सीबीआइ की छापेमारी के बाद ईडी ने भी इस घोटाले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय से मंजूरी मिलते ही लखनऊ स्थित ईडी के जोनल कार्यालय ने यह कार्रवाई की है। ईडी अब एफआइआर में नामजद आरोपितों के अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती के करीबी रहे पूर्व आइएएस अफसर नेतराम समेत अन्य अफसरों पर भी शिकंजा कसेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 अप्रैल 2018 को चीनी मिल घोटाले की सीबीआइ जांच कराने की सिफारिश की थी। आरोप है कि बसपा सरकार में 21 चीनी मिलों को औने-पौने दामों में बेचकर करीब 1100 करोड़ का घोटाला किया गया था। चीनी निगम की 10 संचालित व 11 बंद पड़ी चीनी मिलों को 2010-2011 में बेचा गया था। सीबीआइ लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने इसी वर्ष अप्रैल माह में चीनी मिल घोटाले का केस दर्ज किया था। सीबीआइ ने लखनऊ के गोमतीनगर थाने में सात नवंबर 2017 को दर्ज कराई गई एफआइआर को अपने केस का आधार बनाते हुए सात चीनी मिलों में हुई धांधली में रेगुलर केस दर्ज किया था, जबकि 14 चीनी मिलों में हुई धांधली को लेकर छह प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज की गईं थी। मंगलवार को सीबीआइ एक्शन में आई थी और चीनी मिल घोटाले में बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रमुख सचिव रहे पूर्व आइएएस अधिकारी नेतराम व बसपा सरकार में चीनी मिल निगम संघ के एमडी रहे विनय प्रिय दुबे (अब सेवानिवृत्त) के घरों समेत 14 ठिकानों में छापेमारी की थी। पूर्व एमएलसी इकबाल के दो बेटे जावेद व वाजिद के ठिकानों को भी सीबीआइ ने खंगाला था। चीनी मिल घोटाले में जावेद व वाजिद नामजद आरोपित हैं। चीनी मिलें खरीदने वाली दो फर्मों के संचालकों की संपत्तियां भी ईडी के निशाने पर होंगी। ईडी खासकर घोटाले की रकम से जुटाई गई संपत्तियों का ब्योरा खंगालेगी।

इन पर दर्ज हुआ था केस : सीबीआइ ने फर्जी दस्तावेजों के जरिये देवरिया, बरेली, लक्ष्मीगंज, हरदोई, रामकोला, छितौनी व बाराबंकी स्थित सात चीनी मिलें खरीदने के मामले में दिल्ली निवासी राकेश शर्मा, उनकी पत्नी सुमन शर्मा, गाजियाबाद निवासी धर्मेंद्र गुप्ता, सहारनपुर निवासी सौरभ मुकुंद, मु.जावेद, मु.वाजिद अली व मु.नसीम अहमद के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया था।

विपक्षी सांसदों ने की छापेमारी की निंदा

- प्रधानमंत्री को भेजा शिकायती पत्र
- तृणमूल ने कहा-ये सुपर एमरजेंसी

नई दिल्ली, प्रेट्र : मशहूर वकील इंदिरा जयसिंह और उनके पति आनंद ग्रोवर के एनजीओ 'लॉयर्स कलेक्टिव' के खिलाफ सीबीआइ की कार्रवाई पर विपक्षी दलों के सांसदों ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस कार्रवाई को रोकने को कहा है।

कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस, माकपा और भाकपा के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे स्वहस्ताक्षरित पत्र में कहा है कि जयसिंह और उनके पति के खिलाफ अरसे से चली आ रही कार्रवाई और धमकियों के बीच यह नया मामला है। सरकार सत्ता का जमकर दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि इस दंपती ने मानवाधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। दंपती ने प्रशासन के साथ पूरा सहयोग किया है। सहयोग के बावजूद उनके घर और दफ्तरों में छापेमारी किया जाना वाकई चौंकाने वाला है।

माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट करके कहा कि जब कानून को अपना काम करना चाहिए, तब सरकार अपनी जांच एजेंसियों की मदद से प्रख्यात व सम्मानित वरिष्ठ वकीलों को परेशान कर रही है। इससे उनकी नीयत का पता चलता है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन ने भी ट्वीट करके कहा कि इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर के आवासों पर सीबीआइ के छापों से साफ है कि बदले की भावना से काम किया जा रहा है। यह सरकार नागरिकों का उत्पीड़न कर रही है और हर विरोधी स्वर को दबा देना चाहती है। यह सुपर एमरजेंसी है।

इसके अलावा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर के घर एवं दफ्तर पर सीबीआइ छापे की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह छापे बदले की भावना के चलते मारे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट किया, कानून को अपना काम करने देना चाहिए, लेकिन जिन वरिष्ठ वकीलों ने पूरी जिंदगी कानून का शासन और संविधान की गरिमा बनाए रखने में लिए लगाई हो, उनको निशाना बनाकर प्रतिशोध लिया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने इस छापेमारी को बदले की कार्रवाई करार दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सरकारी एजेंसियों का केस दर्ज करना और छापेमारी करने को सरकार ने उत्पीड़न करने का हथकंडा बना लिया है। वह विरोधियों का मुंह बंद कर रही है।

लंबे समय से एफसीआरए नियमों के उल्लंघन के आरोपों में घिरा है

▸ प्रथम पृष्ठ का शेष

लॉयर्स कलेक्टिव लंबे समय से एफसीआरए नियमों के उल्लंघन के आरोपों में घिरा है। 2016 में गृह मंत्रालय की टीम की ओर एनजीओ के बही-खाते की जांच के बाद अनियमितताओं का पर्दाफाश हुआ। सीबीआइ को भेजी गई गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2006 से 2014 के बीच लॉयर्स कलेक्टिव के खाते में लगभग 33 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा आया था। इनमें से 13 करोड़ रुपये के खर्च में अनियमितता के सुबूत मिले हैं। इसके बाद मई 2016 में एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस अस्थायी रूप से निरस्त करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। लेकिन जवाब से संतुष्ट नहीं होने के बाद दिसंबर 2016 में एफसीआरए लाइसेंस पूरी तरह निरस्त कर दिया गया। लेकिन बांबे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किये जाने के बाद आगे की कार्रवाई रुक गई।

और कश्मीरी अलगाववादियों की संपत्ति जब्त करेगी एनआइए

नई दिल्ली, आइएएनएस : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने जम्मू और कश्मीर के कुछ और अलगाववादियों से पूछताछ करने की तैयारी कर ली है। साथ ही घाटी में आतंकवाद की फंडिंग करने वाले इन लोगों की संपत्तियां भी जब्त की जाएंगीं।

एनआइए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि जांच एजेंसी ने कश्मीर घाटी में अलग-अलग अलगाववादी संगठनों के नेताओं की संपत्तियों की पहचान कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि हाल के महीनों में कई लोगों से पूछताछ के दौरान कई बड़े सुराग हाथ लगे हैं। एनआइए ने विगत मंगलवार को अनीस-उल-इस्लाम के जेल में बंद बेटे अल्ताफ अहमद शाह उर्फ फंटूश के वित्तीय लेनदेन के संबंध में जानकारियां जुटा ली हैं।

साथ ही कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी में उसकी भूमिका का भी पता चल गया है। इस्लाम अलगाववादी संगठन हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी का पोता है। गिलानी जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान के सुपुर्द करने का हिमायती है। इस्लाम के पिता की शादी गिलानी की बेटी से हुई है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि इस्लाम से आतंकी गतिविधियों का वित्तीय पोषण करने वालों के बारे में भी पूछताछ की गई है। उससे सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करने वालों, स्कूल जलाने वालों और घाटी में सरकारी प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने वालों के संबंध में पूछताछ की गई है। उससे उसके वित्तीय लेनदेन, परिवार का ब्योरा और विदेश यात्राओं का भी ब्योरा मांगा गया है।

पिछले हफ्ते एनआइए ने अंग्रेजी अखबार ग्रेटर कश्मीर के मालिक व संपादक फयाज अहमद कालू से भी आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद लिखे कई लेखों पर सवाल-जवाब किया था। इन लेखों में फयाज अहमद कालू ने टेरर फंडिंग से संबंधित लेख लिखे थे। वर्ष 2017 में आतंकी फंडिंग के संबंध में एनआइए ने कई आतंकियों जैसे हाफिज सईद, हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता गिलानी व मीरवाइज फारूक और हिजबुल और दुख्तराने मिल्लत के लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए थे। एनआइए अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इस बात का पता चल गया है कि अलगाववादी नेताओं को किस तरह से हवाला के जरिए पैसा मिलता है। इसी संबंध में एनआइए कश्मीरी कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली को भी गिरफ्तार कर चुकी है।

उप्र के पूर्व मंत्री गायत्री की बेनामी संपत्तियों पर ईडी की नजर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उप्र के खनन घोटाले में सीबीआइ ने बुधवार को जो दो नए केस दर्ज किये थे, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनका परीक्षण शुरू कर दिया है। ईडी जल्द सपा सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत दोनों एफआइआर में नामजद आरोपितों के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। अब उसकी जांच के दायरे में पांच और आइएएस अधिकारी भी होंगे।

खनन घोटाले में ईडी पहले ही पूर्व मंत्री गायत्री की जांच कर रही है। दरअसल, हमीरपुर में हुए खनन घोटाले में सीबीआइ ने पहली एफआइआर दर्ज की थी। ईडी ने उस एफआइआर को आधार बनाकर जनवरी में हमीरपुर की तत्कालीन डीएम बी. चंद्रकला व सपा एमएलसी रमेश मिश्रा समेत 11 आरोपितों के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर काली कमाई से जुटाई गई उनकी संपत्तियों की जांच शुरू की थी। इस कड़ी में बी. चंद्रकला समेत अन्य आरोपितों से ईडी ने पूछताछ भी की थी। आरोपितों के बयानों व जांच के दौरान ही सपा सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री की भूमिका सामने आई थी। ईडी को गायत्री की कई बेनामी संपत्तियों का ब्योरा भी मिला है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने ईडी को बुधवार को ही गायत्री से पूछताछ की अनुमति भी दे दी थी, जिससे ईडी की राह और आसान हो गई है। ईडी को गायत्री से 16 से 19 जुलाई के मध्य पूछताछ की अनुमति मिली है। माना जा रहा है कि ईडी इस अवधि से पहले सीबीआइ की एफआइआर को आधार बनाकर गायत्री के खिलाफ मनी लांड्रिंग का नामजद केस दर्ज कर लेगी। गायत्री के अलावा अब आइएएस अधिकारी अभय सिंह, संतोष कुमार राय, विवेक, देवी शरण उपाध्याय व जीवेश नंदन की संपत्तियां भी ईडी के निशाने पर होंगी।

मासूम से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित कोटरा सुल्तानाबाद में 10 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले विष्णु भांभ्रे को भोपाल जिला अदालत ने गुरवार को फांसी की सजा सुना दी। अदालत का यह फैसला घटना के बाद मात्र 33 दिन में आ गया। विशेष न्यायाधीश कुमुदनी पटेल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अपराधी के अंदर घटना को अंजाम देने के बाद भी कोई अपराधबोध नहीं था। अपराधी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या को गुड्डे-गुड़ियों का खेल समझा। ऐसे व्यक्ति के जीवन की कोई कीमत नहीं होना चाहिए। इसे मृत्यु दंड से भी कठोर दंड दिया जाना चाहिए।

आठ जून को कोटरा सुल्तानाबाद की मांडवा बस्ती में रहने वाली एक बच्ची रात आठ बजे दुकान पर सामान लेने गई थी, लेकिन फिर घर नहीं लौटी। काफी तलाश करने पर भी बच्ची का पता नहीं चला। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। विष्णु भी रातभर बच्ची को तलाशने का नाटक करता रहा। सुबह पांच बजे घर के पास स्थित नाले के पास बच्ची का शव मिला। पोस्ट मार्टम से पता चला कि बच्ची के साथ हत्या से पहले दो बार और हत्या के बाद एक बार दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य किया गया है।

सेवानिवृत्ति के बाद भी विश्वविद्यालय के शिक्षक जारी रख सकेंगे शोध

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- राज्य विवि व कालेजों के साथ अब केंद्रीय विवि के शिक्षक हो सकेंगे योजना में शामिल
- यूजीसी ने बेसिक साइंस रिसर्च फैकेल्टी फेलोशिप स्कीम में किया बदलाव

सेवानिवृत्ति के बाद और तीन साल या 68 वर्ष तक मिलेगा मौका। (फाइल)

शोध को बढ़ावा देने में जुटी सरकार अब विश्वविद्यालयों शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद भी शोध से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का मौका देगी। उन्हें यह मौका सेवानिवृत्ति के बाद और तीन साल या 68 वर्ष आयु तक ही मिलेगा। इस योजना में राज्य विश्वविद्यालयों और कालेजों के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षक भी शामिल हो सकेंगे। अब तक इसमें सिर्फ राज्य विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक ही शामिल हो सकते थे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शोध को बढ़ावा देने के लिए बेसिक साइंस रिसर्च फैकेल्टी फेलोशिप स्कीम में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत सेवानिवृत्ति के बाद भी शोध के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को पूरी मदद की जाएगी। उन्हें नजदीकी संस्थानों की प्रयोगशाला में काम करने की छूट मिलेगी। यूजीसी का मानना है कि इससे संस्थानों में शोध का बेहतर माहौल पैदा होगा। वैसे भी उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वस्तरीय बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा शोध कार्यों का होना जरूरी है। विश्वस्तरीय संस्थान के लिए यह सबसे बड़ा मानक होता है। यूजीसी के मुताबिक, फिलहाल विश्वविद्यालय और कालेजों के शिक्षक 58 से 62 वर्ष के बीच सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जबकि यह ऐसा समय होता है जब शोध की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और बढ़ावा देने में उनका अनुभव काफी अहम हो जाता है। ऐसे में केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को फिर से शोध कार्यों से जोड़ने की पहल की गई है। हाल ही में शिक्षकों की कमी को देखते हुए यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों की सेवाएं लेने के निर्देश दिए थे।

50 हजार से पांच लाख रुपये तक की दी जाती है मदद : विश्वविद्यालय शिक्षकों को शोध से जुड़ी गतिविधियों से जोड़ने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इसके तहत शिक्षकों को 50 हजार से पांच लाख रुपये तक की मदद भी दी जाती है।

लोकसभा में रेल को लेकर भी आरोप-प्रत्यारोप

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर रेल की परिसंपत्तियों को बेचने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि भाजपा के नेतृत्व वाला राजग जमीन पर ज्यादा कुछ करने के बजाय लोगों को सपने बेच रहा है।

वहीं भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को दरकिनार करते हुए रेल दुघर्टनाओं में बीते पांच साल में 73 प्रतिशत की कमी आने का दावा किया है रेल मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा की शुरुआत करते हुए लोक सभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नागर विमानन मंत्री एयर इंडिया को बेचना चाहते हैं जबकि रेल मंत्री रेल की परिसंपत्तियों को बेचना चाहते हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार 2014 में सत्ता में आने के बाद लगातार अपने लक्ष्य हासिल करने में असफल रही है। सरकार पर निशाना साधते हुए चौधरी ने कहा कि बजट में रेल पर 50 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही गई है जबकि रेल मंत्री पीयूष गोयल के पूर्ववर्ती सुरेश प्रभु ने 8.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का दावा किया था, उसका क्या हुआ।चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सदस्य सुनील कुमार सिंह ने कहा कि रेल दुर्घटनाओं में 2014 से 2019 के दौरान 73 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में पार्टी और उनके नेताओं के हित प्राथमिकता में ऊपर थे जबकि राजग सरकार के लिए देश हित सबसे ऊपर है।

भारत के लिए बुलेट ट्रेन नहीं : तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि भारत में बुलेट ट्रेन की अवधारणा संभव नहीं है। उन्होंने सरकार पर छल करने और झूठे वादे का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रस्तावित बुलेट ट्रेन दरअसल तेज रफ्तार ट्रेन है बुलेट ट्रेन नहीं। उन्होंने सरकार से 100 साल से पुराने हो चुके रेलवे के पुलों पर ध्यान देने की मांग भी की।

स्टेशन पर शौचालय निःशुल्क हो : चर्चा में भाग लेते हुए शिवसेना के सदस्य राहुल रमेश शेवाले ने केंद्र सरकार से रेलवे स्टेशनों पर निःशुल्क शौचालय की सुविधा मुहैया कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा मुफ्त दी जा रही है, लेकिन शौचालय के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। द्रमुक की कनीमोरी ने कहा कि रेलवे में हाथ से मैला साफ करने की व्यवस्था देश के लिए शर्म की बात है।

मेहुल चोकसी की 24.77 करोड़ की संपत्तियां जब्त

नई दिल्ली, प्रेट्र/एएनआइ : 13 हजार करोड़ से ज्यादा के पीएनबी घोटाले में ईडी ने भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के देश व विदेश में स्थित 24.77 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कर लीं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बताया, 'जब्त संपत्तियों में दुबई स्थित तीन वाणिज्यिक संपत्तियां, एक मर्सिडीज बेंज कार ई-280 व देश-विदेश के बैंक खातों से जुड़े कई फिक्स डिपॉजिट शामिल हैं। इनकी कुल कीमत 24.77 करोड़ रुपये है।'

बयान के अनुसार, प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई का आदेश जारी किया गया था। ईडी अब तक 2,534.7 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कर चुकी है। ईडी व अन्य एजेंसियां बैंक धोखाधड़ी मामले में चोकसी, हीरा कारोबारी नीरव मोदी व अन्य के खिलाफ जांच कर रही है। यह मामला पिछले साल की शुरुआत में प्रकाश में आया था, जब पीएनबी ने 13 हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत की थी। उसने कहा कि आरोपितों के साथ बैंक के कुछ अधिकारी व कर्मचारी भी संलिप्त हैं। सीबीआइ व ईडी ने दो मुकदमे दर्ज किए थे। हालांकि, इससे पहले आरोपित चोकसी व मोदी देश छोड़ चुके थे।

पहल

छग में नक्सलवाद के खिलाफ फिल्म बना रही पुलिस

नक्सलियों के आतंक और दमनकारी नीति से लोगों को जागरूक करेंगे, मुख्य किरदार में नजर आएंगे पुलिस अधीक्षक

नईदुनिया, दंतेवाड़ा

करीब चार दशक से नक्सल हिंसा का दंश झेल रहे छत्तीसगढ़ के बस्तर को इससे मुक्त करने के अभियान में नित नए प्रयोग हो रहे हैं। दंतेवाड़ा में अब नक्सलियों की कारगुजारियां सिनेमा के जरिये लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए डॉक्टर से आइपीएस बने दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव मुख्य किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में पुलिस जवान और आत्मसर्मपण कर चुके नक्सली भी काली वर्दी में नक्सलियों का अभिनय कर रहे हैं। फिल्म के जरिये लोगों को नक्सलियों के आतंक और दमनकारी नीति से जागरूक करने की योजना है।

दंतेवाड़ा के दो अफसरों समेत करीब 100 जवान फिल्म में भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म के कथानक के जरिये दिखाया जाएगा कि बस्तर के बीहड़ों में नक्सली कैसे वर्षों से राज कर रहे हैं। आदिवासियों को बहलाकर और आतंक का सहारा लेकर उन्हें अपने साथ मिलाते हैं। फिर ग्रामीणों की जिंदगी किस तरह बर्बाद हो जाती है। अंदरूनी इलाकों में विकास कार्य बाधित कर किस तरह लोगों को देश समाज की हलचल से दूर रखा जा रहा है। इससे क्या-क्या नुकसान हो रहे हैं। यह सिनेमा दंतेवाड़ा के जंगल और चिह्नित स्थलों पर शूट किया जा रहा है। बुधवार को स्थानीय बस स्टैंड स्थित एक दवा दुकान पर फिल्म का एक शॉट फिल्माया गया। इससे पहले दंतेवाड़ा के जंगलों में शूटिंग की गई है।

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलवाद पर बन रही फिल्म में नक्सलियों की वेशभूषा में पुलिस जवान। साथ में हैं मुख्य किरदार निभा रहे पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक पल्लव। नईदुनिया

ऐसे आया फिल्म बनाने का विचार : एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव ने बताया कि दो माह पहले पांच लाख के एक इनामी नक्सली को पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया था। उसके बाद कुआकोंडा में स्थित एक आश्रम के एक बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन देखा गया। उसके पास एक मोबाइल मिला, उसमें नक्सल समर्थित कई वीडियो और साहित्य थे। इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। बस यहीं से फिल्म बनाने का आइडिया मिला। एसपी कहते हैं कि जब नक्सली जंगल में रहकर वीडियो क्लिप बनाकर, लोगों को बरगला सकते हैं तो इस नकारात्मक विध्वंसक विचारों का जवाब सकारात्मक तरीके से हम क्यों नहीं दे सकते।

छोटी-छोटी कहानियों को जोड़कर बनाई बड़ी कहानी : नक्सल आधारित शार्ट फिल्म छोटी-छोटी कहानियों पर पांच-सात भागों में तैयार हो रही है। जिसमें सरेंडर के बाद नक्सलियों और उनके परिजनों की बदली जिंदगी पर भी कहानी होगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार फिल्म की कहानी पूरी तरह सच्चाई से प्रेरित है। इस कहानी में नक्सल संगठन की अंदरूनी सच्चाइयों आौर नसबंदी व गर्भपात जैसे संवेदनशील विषयों को भी दिखाया जाएगा।

अपनी बोली-भाषा में देखेंगे फिल्म : पुलिस अधिकारियों की मानें तो शार्ट फिल्म को हिंदी के अलावा हल्बी और गोंडी भाषा में भी डब किया जाएगा। बावजूद इस शार्ट मूवी में हिंदी, अंग्रेजी, तेलगू, छत्तीसगढ़ी, गोंडी और हल्बी बोली का उपयोग किया जा रहा है। ताकि फिल्म की मौलिकता बनी रहे और ग्रामीण व बच्चे आसानी से समझ सकें। हिन्दी भाषा में इसे डब करने के पीछे मकसद उन कुछ लोगों को नक्सलियों की सच्चाई बताना है जो उनके लिए कहीं न कहीं सहानुभूति रखते हैं।

आरटीआइ कार्यकर्ता हत्या मामले में भाजपा के पूर्व सांसद को उम्रकैद

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

आरटीआइ कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या मामले में भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी समेत सात लोगों को सीबीआइ की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 11 लाख रुपये मृतक की पत्नी व बच्चों को दिए जाएंगे। गीर वन क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों को उजागर करने के प्रयास के बाद 2010 में आरटीआइ कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी।

सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश केएम दवे ने जेठवा हत्याकांड में दोषी पाए गए पूर्व सांसद दीनू सोलंकी, उसके भतीजे शिवा सोलंकी, शार्प शूटर शैलेष पंड्या, शिवा पंचाल, कांस्टेबल बहादुर सिंह वाढेर, संजय चौहाण व उदाजी ठाकोर को सजा सुनाई। कोर्ट ने दीनू और शिवा पर 15-15 लाख, शैलेष पंड्या व कांस्टेबल बहादुर सिंह पर 10-10 लाख, शिवा पंचाल पर आठ लाख, संजय चौहाण पर एक लाख और उदाजी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस रकम में से अमित जेठवा की पत्नी को पांच लाख और उसके दो बच्चों को तीन-तीन लाख रुपये दिए जाएंगे। जूनागढ़ सासण गीर जंगल में करोड़ों के अवैध खनन के विरोध में आरटीआइ कार्यकर्ता और गीर नेचर फाउंडेशन के अध्यक्ष अमित जेठवा कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। 20 जुलाई, 2010 को हाई कोर्ट के समीप सत्यमेव कांप्लेक्स में वह अपने वकील से मिलने पहुंचे थे। वकील के चैंबर से निकलकर अपनी कार के पास पहुंचने से पहले ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में सबसे पहले शार्प शूटर शैलेष पंड्या और उसके साथी को पकड़ा गया था। बाद में छह नवंबर, 2013 को पूर्व सांसद दीनू बोघा सोलंकी को भी गिरफ्तार किया गया। गत शनिवार को सीबीआइ कोर्ट के न्यायाधीश केएम दवे ने पूर्व सांसद सोलंकी सहित सात लोगों को दोषी ठहराया था। अमित जेठवा के पिता भिखूभाई जेठवा ने कहा कि उन्हें आज न्याय मिला है। न्यायतंत्र पर उन्हें पूरा भरोसा था।